न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 49/2014

1. मनीराम
2. शंकर
3. साहबराम
4. बनवारी

पिसरान बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासीगण भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

--- अपीलार्थीगण

बनाम

1. काशीराम
2. रामराय
3. दयाराम

पुत्रगण हजारीराम व रामप्यारी पत्नी हजारीराम जाति बिश्नोई निवासीगण भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

4. सरस्वती पुत्री हजारीराम व रामप्यारी पत्नी हजारीराम पत्नी डूंगरराम जाति बिश्नोई निवासी काकड़वाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर ।
5. रामस्नेही पुत्री हजारीराम व रामप्यारी पत्नी हजारीराम पत्नी रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
6. हजारीराम पुत्र पेमाराम जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।

--रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 13.05.2014

उपस्थितिः-

श्री शिशपाल शर्मा , अभिभाषक अपीलांट

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. सं0 1 ,2, 4, 5

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 31.10.2017

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 13.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं उक्त आदेश के द्वारा वादीगण/रेस्पो. सं0 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरएलडब्लू 2009(2) पेज 912 आरआरडी 1995 पेज 181 आरएलडब्लू 2007(1) पेज 446 की नजीरे पेश की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय में प्रस्तुत वाद का निर्णय राजीनामा के आधार पर किया है जिसकी अपील नहीं होती है। अतः अपील खारिज की जावें

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 13.05.2014 के विरूद्ध पेश की है जो राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया है बाबत सिविल प्रक्रिययां संहिता 1908 की धारा 96(3) के प्रावधान संदर्भित है जिसका मूल पाठ है कि " पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी अपील नहीं होगी "। अतः अधी.न्यायालय के निर्णय में तो हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है परन्तु राजकीय अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस यह आपत्ति दर्शाई कि अधी.न्यायालय द्वारा इस डिक्री की आड़ में पक्षकारों

31/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

को उनके हिस्से से ज्यादा जमीन राजीनामा दर्शाकर दी है जिससे राज्य सरकार को हजारों रूपये के मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की क्षति हुई है जो वसूल योग्य हैं राजकीय अधिवक्ता की आपत्ति स्वीकार की जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार सूरतगढ को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 13.05.2014 का अच्छी तरह पठन करे तथा तत्समय की जमाबंदी से मिलान कर निर्णय में जो विरासतन से ज्यादा रकबा जिस किसी पक्षकार के नाम रेकार्ड में दर्ज हुआ है उनसे निर्णय की तिथि दिनांक 13.05.2014 के दिन Prevalent DLC की दर से मुद्राक व देय पंजीयन शुल्क वसूलने की कार्यवाही करे जो वसूली की जाकर पालना एक महीने में दिनांक 30.11.2017 से पूर्व पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर